




सत्यमेव जयते

# लेखे एक नजर में 2014-15



झारखण्ड सरकार

झारखण्ड सरकार

**लेखे एक नजर में**

**वर्ष 2014-15**

**झारखण्ड सरकार**

## प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्त्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार राज्य सरकार के वार्षिक लेखे भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निदेशों के अधीन राज्य विधान मंडल के पटल पर रखने के लिए बनाये और जाँचे गये हैं।

वार्षिक लेखे-समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखा के अधीन लेखे का संक्षिप्त विवरण है। विनियोग लेखे में राज्य विधान मंडल द्वारा अनुमोदित प्रावधानों के विरुद्ध अनुदानवार व्ययों को दर्ज किया जाता है एवं वास्तविक व्यय तथा उपलब्ध कराये गये निधियों के बीच अंतर का स्पष्टीकरण प्रस्तुत करता है। महालेखाकार (लेखा एवं हक०) राज्य के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे तैयार करते हैं।

‘लेखे एक नजर में’ सरकारी क्रियाकलापों का विस्तृत विहंगावलोकन प्रस्तुत करता है, जैसा कि वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे में प्रदर्शित है। ये सूचना संक्षिप्त व्याख्याओं, विवरणों और ग्राफों के द्वारा दर्शाया गया है।

हमें उन परामर्शों की अपेक्षा है जो हमारे प्रकाशन के सुधार में सहायक सिद्ध हो।

स्थान : राँची  
दिनांक : 22.01.2016

(मौसुमी राय भट्टाचार्या)  
महालेखाकार (ले० एवं हक०)

## हमारा दृष्टिकोण, उद्देश्य एवं मूल्यांकन सार

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संस्थान का दृष्टिकोण यह इंगित करता है कि

हमें यह प्रयास करना है कि (वैश्विक नेतृत्व) सार्वजनिक क्षेत्र के लेखापरीक्षण एवं लेखाकरण में राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सर्वोत्तम पद्धति का प्रवर्तक रहें एवं हमारा वैश्विक नेतृत्व हो तथा लोक वित्त एवं अभिशासन पर स्वतंत्र, विश्वसनीय, संतुलित एवं सामयिक प्रतिवेदन के लिए पहचाना जाए।

हमारा उद्देश्य हमारे वर्तमान दायित्व को निरूपित करता है तथा यह दर्शाता है कि वर्तमान में हमलोग क्या कर रहे हैं।

भारत के संविधान द्वारा अधिदेशाधीन, हम उच्च गुणवत्ता की लेखापरीक्षण तथा लेखाकरण के माध्यम से उत्तरदायित्व, पारदर्शिता एवं अच्छे अभिशासन को प्रोत्साहित करते हैं, तथा अपने भागीदारों-विधानमंडल, कार्यपालिका एवं जनता को स्वतंत्र आश्वासन प्रदान करते हैं कि लोक निधियों का उपयोग दक्षतापूर्वक तथा इच्छित उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है।

सभी के लिए हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमारा मूल्यांकन सार प्रज्वलित दीप की तरह मार्गदर्शन करे तथा अपनी कार्यकुशलता को परखने में हमें दिशा-निर्देश प्रदान करे।

स्वतंत्रता

व्यवसायिक दक्षता

वस्तुनिष्ठता

पारदर्शिता

निष्ठा

सकारात्मक दृष्टिकोण

विश्वसनीयता

## विषय-सूची

<b>अध्याय-1</b>	<b>विहंगावलोकन</b>	<b>पृष्ठ</b>
1.1	भूमिका	7
1.2	लेखे की संरचना	7
1.2.1	सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं	7
1.3	वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे	7
1.3.1	वित्त लेखे	7-8
1.3.2	विनियोग लेखे	8
1.4	निधियों के स्रोत एवं उपयोग	8
1.4.1	अर्थोपाय अग्रिम	8
1.4.2	निधि प्रवाह विवरणी (निधियों के स्रोत एवं उपयोग)	9
1.4.3	रूपये कहाँ से आए	10
1.4.4	रूपये कहाँ गए	10
1.5	लेखे की विशिष्टता	11
1.6	घाटा एवं अधिशेष क्या दर्शाता है?	12
1.6.1	राजस्व घाटा/अधिशेष की प्रवृत्ति	12
1.6.2	राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति	13
1.6.3	पूँजी व्यय पर खर्च हेतु उधार लिये गए निधियों का अनुपात	13
<b>अध्याय-2</b>	<b>प्राप्तियाँ</b>	
2.1	भूमिका	14
2.2	राजस्व प्राप्तियाँ	14-15
2.3	प्राप्तियों की प्रवृत्ति	15-16
2.4	राज्य की स्व कर राजस्व संग्रहण का प्रदर्शन	16
2.5	कर संग्रहण की दक्षता	17
2.6	विगत पाँच वर्षों के दौरान संघीय करों में राज्य का हिस्सों की प्रवृत्ति	17
2.7	सहायक अनुदान	18
2.8	लोक ऋण	18-19
<b>अध्याय-3</b>	<b>व्यय</b>	
3.1	भूमिका	20
3.2	राजस्व व्यय	20
3.2.1	राजस्व व्यय (2014-15) का खण्डवार वितरण	20
3.2.2	राजस्व व्यय (2010-15) के मुख्य घटक	21
3.3	पूँजीगत व्यय	21
3.3.1	पूँजीगत व्यय का खण्डवार वितरण	21
3.3.2	विगत पाँच वर्षों के दौरान पूँजीगत व्यय का खण्डवार वितरण	22

<b>अध्याय-4</b>	<b>योजना एवं गैर-योजना व्यय</b>	
4.1	व्यय का वितरण (2014-15)	23
4.2	योजना व्यय	23
4.2.1	पूँजी लेखा के अन्तर्गत योजना व्यय	23
4.3	गैर-योजना व्यय	24
4.4	वचनबद्ध व्यय	24-25
<hr/>		
<b>अध्याय-5</b>	<b>विनियोग लेखे</b>	
5.1	वर्ष 2014-15 के लिए विनियोग लेखे का सारांश	26
5.2	विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य या अधिक व्यय की प्रवृत्ति	26
5.3	महत्वपूर्ण बचतें	26-27
<hr/>		
<b>अध्याय-6</b>	<b>परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व</b>	
6.1	परिसम्पत्तियाँ	28
6.2	ऋण एवं दायित्व	28
6.3	निवेश एवं वापसियाँ	28
6.4	प्रत्याभूति	28
<hr/>		
<b>अध्याय-7</b>	<b>अन्य मदें</b>	
7.1	आन्तरिक ऋण के अधीन शेष	29
7.2	राज्य सरकार द्वारा कर्ज एवं अग्रिम	29
7.3	स्थानीय निकायों एवं अन्यान्य को वित्तीय सहायता	29
7.4	रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश	29
7.5	लेखे का पुनर्मिलान	30
7.6	कोषागारों द्वारा लेखे का प्रेषण	31
7.7	संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए.सी.) एवं विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डी.सी.)	31
7.8	अपूर्ण पूँजीगत कार्यों के लेखे की वचनबद्धता	31
7.9	व्यय की तीव्रता	31-32

## विहंगावलोकन

### 1.1 भूमिका

जिला कोषागारों, लोक-निर्माण कार्यों एवं वन प्रमंडलों द्वारा भेजे गए लेखे से राज्य सरकार के मासिक लेखे महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वारा संकलित और समेकित किये जाते हैं। इसके अलावे, भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के निदेशों के अधीन नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम 1971 की अपेक्षाओं के अनुसार वित्त लेखे और विनियोग लेखे महालेखाकार द्वारा प्रतिवर्ष तैयार किये जाते हैं।

### 1.2 लेखे की संरचना

#### 1.2.1 सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं :-

भाग - I समेकित निधि	राजस्व एवं पूंजीगत लेखे, लोक ऋण तथा कर्जे एवं पेशगियां पर प्राप्तियाँ और व्यय
भाग - II आकस्मिकता निधि	वैसे अदृश्य व्यय को पूरा करने के लिए जिसके लिए बजट में प्रावधान नहीं है, तदोपरान्त इस निधि से व्यय की गई राशि की प्रतिपूर्ति समेकित निधि से की जाती है।
भाग - III लोक लेखे	इसमें ऋण, जमा, पेशगियां, प्रेषण तथा उचंत लेनदेन शामिल है। ऋण एवं जमा सरकार की देयता के पुनर्भुगतान को इंगित करता है। पेशगियां सरकार की प्राप्तियाँ हैं। प्रेषण एवं उचंत लेनदेन समायोज्य प्रविष्टियाँ हैं जिसे अंतिम लेखा शीर्ष में पुस्तांकन द्वारा उत्तरोत्तर समाशोधित किया जाता है।

### 1.3 वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे

#### 1.3.1 वित्त लेखे

लेखे में दर्ज शेषों के परीक्षण के आधार राजस्व और पूंजी लेखे, लोक ऋण के लेखे एवं दायित्वों तथा सम्पत्तियों द्वारा प्रकट वित्तीय परिणामों के साथ वर्ष के लिए सरकार के प्राप्तियों और व्ययों के लेखे वित्त लेखे प्रस्तुत करता है। वित्त लेखे को अधिक व्यापक एवं सूचनात्मक बनाने हेतु इसे दो खण्डों में बनाया गया है। वित्त लेखे के खण्ड - I में भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, सम्पूर्ण प्राप्तियों एवं संवितरणों का संक्षिप्त विवरण समाहित है तथा 'लेखे पर टिप्पणियाँ', जिसमें महत्वपूर्ण लेखाकरण की नीतियाँ, लेखे की गुणवत्ता तथा अन्य मद्दे शामिल हैं। खण्ड - II में विस्तृत विवरणों (भाग - I) तथा परिशिष्टों (भाग - II) को शामिल किया जाता है।

झारखण्ड सरकार के प्राप्तियों और व्ययों, जैसा कि वित्त लेखे, 2014-15 में अंकित है, को नीचे दर्शाया गया है -

(करोड़ रुपयों में)

प्राप्तियाँ (कुल : ₹ 38,162)	राजस्व : (कुल ₹ 31,565)	कर राजस्व	19,837
		करेतर राजस्व	4,335
		सहायक अनुदान	7,393
	पूंजी : (कुल ₹ 6,597)	कर्ज एवं पेशगियों की वसूली	33
उधार एवं अन्य दायित्व*		6,564	

संवितरण (कुल : ₹ 38,162)	राजस्व	31,795
	पूँजी	5,543
	कर्ज एवं पेशगियाँ	824

\* उधार एवं अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ-संवितरण) + अन्तर्राज्यीय परिशोधन + निवल आकस्मिकता निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ-संवितरण) + निवल अथ एवं अन्त रोकड़ शेष

केन्द्र सरकार, राज्य में विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए राज्य क्रियान्वयन अभिकरणों/गैर-सरकारी संगठनों को प्रत्यक्ष रूप से वास्तविक निधियों का हस्तांतरण करती है। वर्ष 2014-15 के दौरान भारत सरकार ने ₹ 131 करोड़ (विगत वर्ष ₹ 2,602 करोड़) प्रत्यक्ष रूप से विमुक्त किया। राज्य में अवस्थित केन्द्रीय निकायों के साथ-साथ झारखण्ड सरकार के अधीनता से परे विभिन्न अन्य संगठनों को वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2013-14 के लिए क्रमशः ₹ 186 करोड़ एवं ₹ 153 करोड़ की राशि विमुक्त की गई, जो इसमें शामिल नहीं है। वर्ष 2013-14 के दौरान राष्ट्रीय टी.बी. कन्ट्रोल बोर्ड कार्यक्रम - वस्तु अनुदान-बाह्य संपोषित घटक हेतु ₹ 1 करोड़ की विमुक्त राशि इसमें शामिल है। चूँकि इन निधियों का उल्लेख राज्य के बजट में नहीं किया जाता है, इसलिए राज्य सरकार के लेखे में ये निधियाँ प्रतिबिम्बित नहीं होते हैं। वर्तमान में वित्त लेखे के खण्ड - II के परिशिष्ट - VI में इन अंतरणों को दर्शाया जा रहा है।

### 1.3.2 विनियोग लेखे

विनियोग लेखे, वित्त लेखे का सम्पूरक है। यह समेकित निधि पर प्रभारित अथवा राज्य विधान मंडल द्वारा दत्तमत राशियों के विरुद्ध राज्य सरकार के व्यय को दर्शाता है। इसमें 05 प्रभारित विनियोग, 54 दत्तमत अनुदान, 01 दत्तमत एवं प्रभारित मिश्रित अनुदान हैं।

विनियोग अधिनियम, 2014-15 द्वारा ₹ 57,303 करोड़ रुपये का सकल व्यय तथा व्यय में कमी (वापसियाँ) के अन्तर्गत ₹ 328 करोड़ का प्रावधान किया गया था। इसके विरुद्ध वास्तविक सकल व्यय ₹ 40,398 करोड़ था तथा ₹ 357 करोड़ व्यय की कमी के अन्तर्गत था, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 16,905 करोड़ (29 प्रतिशत) का निवल बचत हुआ तथा व्यय की कमी पर ₹ 29 करोड़ (9 प्रतिशत) का कम आकलन किया गया।

सकल व्यय में संक्षिप्त आकस्मिक विपत्रों के द्वारा निकासी किया गया ₹ 721 करोड़ शामिल है जिसमें ₹ 666 करोड़, जो कि विस्तृत आकस्मिक विपत्रों के अभाव में वर्ष के अन्त तक अभी भी लंबित है।

वर्ष 2014-15 के दौरान, ₹ 5,155 करोड़ लोक लेखे के अन्तर्गत स्थानीय निधि जमा लेखाओं को समेकित निधि से हस्तांतरित किया गया था, जिसका रख-रखाव विशेष उद्देश्यों के लिए पदनामित प्रशासकों द्वारा किया जाता है। कोषागार पदाधिकारी द्वारा वर्ष के अन्त में महालेखाकार को संसूचित करते हुए निधि को एक तरफ एवं संधारित करने वाले प्राधिकारी की निधि को दूसरी तरफ प्रत्येक स्थानीय निधि में जमा शेषों को सत्यापित किया जाएगा। महालेखाकार के अभिलेख में जो राशि शेष होगी वह सरकार द्वारा स्वीकार्य होगा जिसे मानक मानते हुए कोषागार पदाधिकारी को अनुसरण करना होगा न कि स्थानीय निधि में दिखाये गए लेखों के आधार पर।

## 1.4 निधियों के स्रोत तथा उपयोग

### 1.4.1 अर्थोपाय अग्रिम

राज्य सरकारों को अपनी परिशोधित स्थिति को कायम रखने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने अर्थोपाय पेशगियों की सुविधा में बढ़ोत्तरी किया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रख-रखाव में सम्मत न्यूनतम रोकड़ शेष (15 नवम्बर 2000 से प्रभावी ₹ 0.45 करोड़) में जब कोई कमी आती है तो उसके लिए ओवर ड्राफ्ट की सुविधाएँ प्रदान की गई हैं। वर्ष 2014-15 के दौरान झारखण्ड सरकार ने कोई साधारण, अर्थोपाय पेशगियाँ प्राप्त नहीं किया तथा ओवरड्राफ्ट सुविधाओं का सहारा नहीं लिया है।



### 1.4.2 निधि प्रवाह विवरण

राज्य के पास ₹ 230 करोड़ का राजस्व घाटा एवं ₹ 6,564 करोड़ का राजकोषीय घाटा था, जो सकल राज्य घरेलु उत्पाद (स.रा.घ.उ.)<sup>1</sup> के क्रमशः 0.11 प्रतिशत तथा 3.32 प्रतिशत को दर्शाता है। राजकोषीय घाटा कुल व्यय के 17 प्रतिशत को संस्थापित करता है।

इस घाटे को लोक ऋण (₹ 6,690 करोड़) लोक लेखे में अभिवृद्धि (₹ 1,101 करोड़) तथा निवल अथ एवं अन्त रोकड़ शेष (₹ 652 करोड़) से पूरा किया गया। राज्य सरकार की राजस्व प्राप्तियाँ (₹ 31,565 करोड़) का लगभग 44 प्रतिशत वचनबद्ध व्यय जैसे वेतन (₹ 7,382 करोड़), ब्याज अदायगियाँ (₹ 2,929 करोड़) एवं पेंशन (₹ 3,463 करोड़) पर व्यय किया गया।


#### निधियों के स्रोत तथा उपयोग

(करोड़ रूपयों में)


विवरण		राशि
स्रोत	01/04/2014 को अथ रोकड़ शेष	428
	राजस्व प्राप्तियाँ	31,565
	कर्ज एवं अग्रिम की वसूली	33
	लोक ऋण	6,690
	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	...
	लघु बचत भविष्य निधि एवं अन्य	843
	आरक्षित एवं निक्षेप निधियाँ	308
	जमा प्राप्ति	11,968
	सिविल अग्रिम पुनर्भुगतान	214
	उचंत लेखा	68,752
	प्रेषण	6,838
	आकस्मिकता निधि	...
	<b>कुल</b>	<b>1,27,639</b>
उपयोग	राजस्व व्यय	31,795
	पूँजी व्यय	5,543
	दिए गए कर्जे	823
	लोक ऋण का पुनर्भुगतान	1,880
	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	...
	लघु बचत भविष्य निधि एवं अन्य	1,045
	आरक्षित एवं निक्षेप निधियाँ	33
	खर्च किए गए जमा	10,876
	दिए गए सिविल अग्रिम	213
	उचंत लेखा	68,579
	प्रेषण	7,076
	31.03.2015 को अन्त रोकड़ शेष	(-)224
	<b>कुल</b>	<b>1,27,639</b>

<sup>1</sup> अन्य रूप से दर्शाए गए को छोड़कर इस प्रकाशन में उपयोग में लाये गये स०रा०घ०उ० आँकड़े ₹ 1,72,773 करोड़ मुख्यालय के ई-मेल दिनांक 06.08.2014 द्वारा राज्य के राजकोषीय प्राथमिकता के संबंध में लिए गए हैं।

### 1.4.3 रुपये कहाँ से आए



### 1.4.4 रुपये कहाँ गए



## 1.5 लेखे की विशिष्टता

(करोड़ रुपयों में)

क्र. सं.	स्रोत	ब.प्रा. 2014-15	वास्तविकी	वास्तविकी ब.प्रा. की प्रतिशतता	स.रा.घ.उ. की वास्तविकी से प्रतिशतता (\$) 197514 करोड़
1.	कर राजस्व (@)	22,692	19,837	87	10
2.	करेतर राजस्व	4,967	4,335	87	2
3.	सहायक अनुदान एवं अंशदान	15,785	7,393	47	4
4.	राजस्व प्राप्तियाँ (1+2+3)	43,444	31,565	73	16
5.	कर्जे एवं अग्रिमों की वसूली	54	33	61	...
6.	उधार एवं अन्य दायित्व (क)	5,347	6,564	123	3
7.	पूंजी प्राप्तियाँ (5+6)	5,401	6,597	122	3
8.	कुल प्राप्तियाँ (4+7)	48,845	38,162	78	19
9.	गैर-योजना व्यय (*)	21,656	19,417	90	10
10.	राजस्व लेखा पर गै.यो. व्यय	21,547	19,359	90	10
11.	10 में से ब्याज भुगतान पर गै.यो.व्यय	2,729	2,929	107	1
12.	पूंजी लेखा पर गै.यो. व्यय (^)	109	58	53	...
13.	योजना व्यय (*)	26,694	18,745	70	9
14.	राजस्व लेखा पर योजना व्यय	17,941	12,436	69	6
15.	पूंजी लेखा पर योजना व्यय	8,753	6,309	72	3
16.	कुल व्यय (9+13)	48,350	38,162	79	19
17.	राजस्व व्यय (10+14)	39,488	31,795	81	16
18.	पूंजी व्यय (12+15) (#)	8,862	6,367	72	3
19.	राजस्व अधिशेष (4-17)	3,956	-230	-6	...
20.	राजकोषीय घाटा (4+5-16)	4,852	6,564	135	3

(@) संघीय करों में राज्य का हिस्सा ₹ 9,487 करोड़ सम्मिलित है।

(\$) सकल राज्य घरेलू उत्पाद का ₹ 1,97,514 करोड़ जो राज्य के राजकोषीय प्राथमिकता के संबंध में है, को मुख्यालय के ई-मेल दिनांक 05.08.2015 के द्वारा लिया गया है।

(#) पूंजी लेखा पर व्यय में पूंजी व्यय (₹ 5,543 करोड़) एवं संवितरित कर्जे तथा अग्रिमों (₹ 824 करोड़) सम्मिलित है।

(\*) व्यय में ₹ 35 करोड़ गैर-योजनान्तर्गत एवं ₹ 789 करोड़ योजनान्तर्गत सम्मिलित है जो कर्जे एवं अग्रिमों से संबंधित है।

(क) उधार एवं अन्य दायित्व : निवल लोक ऋण (प्राप्तियाँ - संवितरण) + अन्तर्राज्यीय परिशोधन + निवल आकस्मिकता निधि + निवल लोक लेखा (प्राप्तियाँ - संवितरण) + निवल अथ एवं अन्त रोकड़ शेष।


## 1.6 घाटा एवं अधिशेष क्या दर्शाता है ?

घाटा	राजस्व एवं व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है, घाटों के प्रकार, घाटा कैसे सम्पोषित हुआ तथा निधियों का उपयोग वित्तीय प्रबंधन में विवेक का महत्वपूर्ण सूचकांक है।
राजस्व घाटा / अधिशेष	राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है। राजस्व व्यय सरकार के वर्तमान स्थापना के रख-रखाव के लिए आवश्यक है तथा आदर्शतः राजस्व प्राप्तियों से ही उसे पूर्णतः पूरा किया जाना चाहिए।
राजकोषीय घाटा / अधिशेष	कुल प्राप्तियाँ (उधार को छोड़कर) तथा कुल व्यय के बीच के अन्तर को प्रकट करता है। इसलिए यह अन्तर उधारों द्वारा व्यय को किस सीमा तक सम्पोषित किया गया है, सूचित करता है। आदर्शतः उधारों को पूँजीगत परियोजनाओं में निवेशित किया जाना चाहिए।

घाटा सूचकांक, राजस्व को वृद्धि एवं व्यय प्रबंधन सरकार के राजकोषीय दक्षता को परखने का मुख्य मापदण्ड है। राज्य सरकार को अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने राज्यों को समेकित ऋण एवं राहत सुविधा (डी.सी.आर.एफ.) में अभिवृद्धि की है जिसके तहत सफल राज्य सरकारें मूलधन एवं/अथवा ब्याज के पुनर्भुगतान पर राहत प्राप्त कर सकेंगे।

वर्ष 2006-07 के अनुरूप ही राज्य सरकार द्वारा राजस्व अधिशेष के लक्ष्य को प्राप्त किया गया और उसके बाद भी इसे कायम रखा गया<sup>1</sup>, लेकिन वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 230 करोड़ का राजस्व घाटा हुआ और राज्य सरकार एफ.आर.बी.एम. अधिनियम के अनुसार अपने राजकोषीय लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकी। यद्यपि, राज्य सरकार एवं भारत सरकार के बीच स.रा.घ.उ. में राजकोषीय घाटा की प्रतिशतता के परिकलन में मत भिन्नता है। राज्य सरकार के आकलन के दौरान स.रा.घ.उ. में राजकोषीय घाटे के अनुपात<sup>2</sup> को वर्ष 2014-15 में 3.32 प्रतिशत (अंतरिम आंकड़ा) एवं 2.84 प्रतिशत (बजट प्राक्कलन) की सीमा के बीच था<sup>3</sup>।

### 1.6.1 राजस्व घाटा/अधिशेष की प्रवृत्ति




<sup>1</sup> वर्ष 2013-14 में राजस्व अधिशेष ₹ 2,665 करोड़ था एवं वर्ष 2014-15 में अधिशेष ₹ (-)230 करोड़ था।


<sup>2</sup> वर्ष 2013-14 में राजकोषीय घाटा ₹ 2,256 करोड़ एवं वर्ष 2014-15 में ₹ 6,564 करोड़ था।

<sup>3</sup> सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ₹ 1,97,514 करोड़ सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के बेवसाइट से मुख्यालय के ई-मेल दिनांक 05.08.2015 के द्वारा राज्य के राजकोषीय प्राथमिकता के संबंध में लिए गए हैं।

### 1.6.2 राजकोषीय घाटा की प्रवृत्ति



### 1.6.3 उधार ली गई निधियों का अनुपात जो पूंजीगत व्यय पर खर्च किया गया



यह अपेक्षा की जाती है कि पूंजी परिसंपत्तियों के सृजन हेतु उधार ली गयी निधियों का पूर्णतः उपयोग किया जाय तथा मूलधन एवं ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु राजस्व प्राप्तियों का उपयोग हो।

वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार ने चालू वर्ष के उधारों से अपने पूंजीगत व्यय के लिए (₹ 6,690 करोड़) तथा पूंजीगत व्यय पर राजस्व अधिशेष (₹ 2,666 करोड़) सम्पोषित किया।

## प्राप्तियाँ


### 2.1 भूमिका

सरकार की प्राप्तियों को दो भागों यथा राजस्व प्राप्तियाँ तथा पूंजीगत प्राप्तियाँ में वर्गीकृत किया गया है। वर्ष 2014-15 के लिए कुल प्राप्तियाँ ₹ 38,162 करोड़ थी।

### 2.2 राजस्व प्राप्तियाँ

कर राजस्व	भारत के संविधान के अनुच्छेद 280 (3) के अधीन संघीय करों में राज्य का हिस्सा से संबंधित करों को राज्य सरकार द्वारा संग्रहण करना एवं रखना शामिल है।
करेतर राजस्व	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश, लाभ इत्यादि शामिल है।
सहायक अनुदान	अनिवार्यतः संघीय सरकार से राज्य सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में मिलने वाली राशि विदेशी सरकारों से प्राप्त होने वाली वाह्य अनुदान सहायता एवं सहायता उपस्कर एवं सामग्री जिसे संघीय सरकार के माध्यम से विभिन्न सरकारों को उपलब्ध कराया जाता है। इसके साथ ही राज्य सरकार भी संस्थाओं यथा-पंचायती राज संस्थान, स्वायत्तशासी निकायों आदि को सहायक अनुदान देती है।

(करोड़ रुपयों में)



### राजस्व प्राप्तियाँ का घटक (2014-15)

(करोड़ रुपयों में)

क.	घटक	वास्तविकी
	<b>कर राजस्व</b>	<b>19,837</b>
	आय तथा व्यय पर कर	5,736
	सम्पत्ति एवं पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	623
	वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर	13,478
<b>ख.</b>	<b>करेतर राजस्व</b>	<b>4,335</b>
	ब्याज प्राप्तियाँ, लाभांश तथा लाभ	143
	सामान्य सेवायें	101

घटक		वास्तविकी
	सामाजिक सेवार्यें	182
	आर्थिक सेवार्यें	3,909
ग.	सहायक अनुदान एवं अंशदान	7,393
	कुल राजस्व प्राप्तियाँ	31,565

## 2.3 प्राप्तियों की प्रवृत्ति


(करोड़ रूपयों में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कर राजस्व	11,871 (7)	14,124 (11)	16,412 (11)	18,319 (11)	19,837 (10)
करेतर राजस्व	2,803 (2)	3,038 (2)	3,536 (2)	3,753 (2)	4,335 (2)
सहायक अनुदान	4,107 (3)	4,257 (4)	4,822 (3)	4,065 (2)	7,393 (4)
कुल राजस्व प्राप्तियाँ	18,781 (15)	22,419 (16)	24,770 (16)	26,137 (15)	31,565 (16)
स.रा.घ.उ.	1,27,281	1,35,618	1,51,655	1,72,773	1,97,514*

\* सकल राज्य घरेलू उत्पाद का ₹ 1,97,514 करोड़ जो राज्य के राजकोषीय प्राथमिकता के संबंध में है, को मुख्यालय के ई-मेल दिनांक 05.08.2015 के द्वारा लिया गया है।

टिप्पणी : लघु कोषक में आँकड़ें संरा०घ०उ०, जो कि पूर्णांकित आंकड़े के रूप में हैं, की प्रतिशतता को प्रदर्शित करता है।


वर्ष 2014-15 के दौरान राजस्व संग्रह वर्ष 2013-14 की तुलना में 21 प्रतिशत था जबकि वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के बीच स.रा.घ.उ. में वृद्धि 14 प्रतिशत ही था। कर राजस्व में 8 प्रतिशत की वृद्धि हुई तथा करेतर राजस्व में 16 प्रतिशत की वृद्धि हुई। अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग (₹ 3,473 करोड़), ब्याज प्राप्ति लाभांश एवं लाभ (₹ 143 करोड़), बिक्री व्यापार आदि पर कर (₹ 8,070 करोड़), आय पर निगम कर से भिन्न कर (₹ 2,366 करोड़) के अन्तर्गत महत्वपूर्ण संग्रह किया गया। निश्चित कर घटकों जैसे बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹ 8,070 करोड़), राज्य उत्पाद शुल्क (₹ 740 करोड़) स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क (₹ 531 करोड़), वाहन कर (₹ 660 करोड़) के अन्तर्गत राज्य का स्व राजस्व उच्च प्रवृत्ति को दर्शाता है।



## खण्डवार - कर राजस्व

(करोड़ रुपयों में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आय तथा व्यय पर कर	3,677	4,256	4,745	5,036	5,736
सम्पति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर	464	465	594	741	623
वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर	7,730	9,403	11,073	12,542	13,478
<b>कुल कर राजस्व</b>	<b>11,871</b>	<b>14,124</b>	<b>16,412</b>	<b>18,319</b>	<b>19,837</b>



(\*) मुख्यतः राज्य को केन्द्रीय हिस्से का निवल आगम

## 2.4 राज्य की स्व कर राजस्व संग्रहण का प्रदर्शन

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	कर राजस्व	संघीय करों में राज्य का हिस्सा	राज्य का स्व कर राजस्व	
			राशि	स.रा.घ.उ. की प्रतिशतता
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2010-2011	11,871	6,154	5,717	5.27
2011-2012	14,124	7,170	6,954	5.52
2012-2013	16,412	8,188	8,224	5.25
2013-2014	18,319	8,939	9,380	4.96
2014-2015	19,837	9,487	10,350	5.24



## 2.5 कर संग्रहण की दक्षता

### क. सम्पत्ति तथा पूंजीगत संव्यवहारों पर कर

(करोड़ रुपये में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व संग्रहण	464	465	594	741	623
संग्रहण पर व्यय	157	171	182	190	196
कर संग्रहण की दक्षता (प्रतिशत में)	34	37	31	26	31

### ख. वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर

(करोड़ रुपये में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
राजस्व संग्रहण	7,730	9,403	11,073	12,542	13,478
संग्रहण पर व्यय	59	72	63	72	69
कर संग्रहण की दक्षता (प्रतिशत में)	0.8	0.8	0.6	0.6	0.5

वस्तुओं तथा सेवाओं पर कर एक प्रकार से कर राजस्व का मुख्य भाग है। कर संग्रहण की मात्रा को कुछ और बढ़ाने की आवश्यकता है।

## 2.6 विगत पाँच वर्षों के दौरान संघीय करों में राज्य का हिस्सा की प्रवृत्ति


(करोड़ रुपये में)

मुख्य शीर्ष का वर्णन	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
निगम कर	2,406	2,822	2,941	3,006	3,313
निगम कर से भिन्न आय पर कर	1,271	1,434	1,761	1,980	2,366
धन कर	5	11	5	8	9
सीमा शुल्क	1,076	1,243	1,361	1,459	1,534
संघ उत्पाद शुल्क	783	804	925	1,030	866
सेवा कर	614	856	1,196	1,456	1,399
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	...	...	...	...	...
संघीय करों में राज्य का हिस्सा	6,155	7,170	8,189	8,939	9,487
कुल कर राजस्व	11,871	14,124	16,412	18,319	19,837
कुल कर राजस्व की संघीय करों की प्रतिशतता	52	51	50	49	48

समय-समय पर भारत सरकार द्वारा विशिष्ट मदों पर कर की दरों को कम करने के कारण मुख्यतः संघ उत्पाद शुल्कों में राज्य के हिस्से में ह्रास हुआ है।

## 2.7 सहायक अनुदान

सहायक अनुदान भारत सरकार से सहायता को इंगित करता है, जिसमें योजना आयोग द्वारा अनुमोदित राज्य योजनागत योजनाओं, केन्द्रीय योजनागत योजनाओं एवं केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं तथा वित्त आयोग द्वारा अनुशंसित राज्य के गैर-योजनाओं के लिए अनुदान शामिल है। सहायक अनुदान के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 के दौरान कुल प्राप्तियाँ ₹ 7,393 करोड़ थी, जैसा कि नीचे दिखाया गया है।



कुल सहायक अनुदान में गैर-योजना अनुदानों के हिस्से में वर्ष 2012-13 के दौरान 31 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2013-14 में 32 प्रतिशत तथा आगे वर्ष 2014-15 में बढ़कर 35 प्रतिशत हुआ तथा योजनागत योजनाओं हेतु अनुदानों के हिस्से में वर्ष 2012-13 में 69 प्रतिशत, वर्ष 2013-14 में 68 प्रतिशत की कमी तथा आगे वर्ष 2014-15 में 214 प्रतिशत की वृद्धि हुई। ₹ 10,879 करोड़ के संघीय हिस्से के बजट प्राक्कलन के विरुद्ध वास्तव में राज्य सरकार ने ₹ 7,393 करोड़ का सहायक अनुदान (बजट प्राक्कलन का 63 प्रतिशत) व्यय किया।

## 2.8 लोक ऋण

विगत पाँच वर्षों में लोक ऋण की प्रवृत्ति

(करोड़ रुपयों में)

विवरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
आन्तरिक ऋण	2,315	2,639	4,960	4,597	6,537
केन्द्रीय कर्ज	132	32	239	106	153
कुल लोक ऋण	2,447	2,671	5,199	4,703	6,690

वर्ष 2014-15 में पांच राज्य विकास ऋणों के लिए कुल ₹ 4,950 करोड़ की राशि राज्य सरकार द्वारा उगाही गई। विस्तृत ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	ऋण का विवरण	राशि	ब्याज की दर	विमोच्य होने का वर्ष
1.	जे. जी. एस.	500	8.05	2024
2.	जे. एस. डी. एल.	750	8.27	2024
3.	जे. एस. डी. एल.	1500	8.16	2025
4.	जे. एस. डी. एल.	1200	8.08	2025
5.	जे. एस. डी. एल.	1000	8.10	2025

वर्ष 2014-15 में राज्य सरकार का कुल ₹ 6,537 करोड़ का आन्तरिक ऋण के साथ-साथ इस अवधि के दौरान प्राप्त ₹ 153 करोड़ का केन्द्रीय ऋण संघटक के विरुद्ध मात्र ₹ 6,367 करोड़ का पूंजीगत व्यय यह इंगित करता है कि राजस्व प्राप्तियाँ से व्यय किया गया था।

जे. एस. डी. एल. - झारखण्ड राज्य विकास ऋण

## व्यय

### 3.1 भूमिका

व्यय को राजस्व व्यय एवं पूंजीगत व्यय के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राजस्व व्यय का उपयोग किसी संगठन के दिन-प्रतिदिन के व्यय को पूरा करने के लिए किया जाता है। पूंजीगत व्यय का उपयोग स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण अथवा ऐसी परिसंपत्तियों की उपयोगिता में वृद्धि अथवा स्थायी दायित्वों में कमी के लिए किया जाता है।

व्यय को अग्रतर योजना एवं गैर-योजना के अन्तर्गत वर्गीकृत किया गया है।

सामान्य सेवाएं	न्याय, पुलिस, जेल, लोक निर्माण विभाग, पेंशन इत्यादि शामिल हैं।
सामाजिक सेवाएं	शिक्षा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, जल पूर्ति, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों का कल्याण इत्यादि शामिल हैं।
आर्थिक सेवाएं	कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि शामिल हैं।

### 3.2 राजस्व व्यय

गैर-योजना व्यय के अन्तर्गत ₹ 2,188 करोड़ तथा योजना व्यय के अंतर्गत ₹ 5,505 करोड़ के कम भुगतान के कारण वर्ष 2014-15 में ₹ 31,795 करोड़ का राजस्व व्यय, जो बजट प्राक्कलन से ₹ 7,693 करोड़ कम हुआ।

विगत पाँच वर्षों के दौरान राजस्व अनुभाग के अन्तर्गत बजट प्राक्कलन के विरुद्ध व्यय में हास/आधिक्य को नीचे दर्शाया गया है :-

(करोड़ रुपयों में)


	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
बजट प्राक्कलन	16,551	24,038	27,800	30,435	39,488
वास्तविकी	17,945	20,991	23,400	23,472	31,795
अन्तर (-) बचत / (+) आधिक्य	(+),1,394	(-),3,047	(-),4,400	(-),6,964	(-),7,693
बजट प्राक्कलन के ऊपर अन्तर की प्रतिशतता	(+),8	(-),13	(-),16	(-),23	(-),19

#### 3.2.1 राजस्व व्यय (2014-15) का खण्डवार वितरण

(करोड़ रुपयों में)

क.	संघटक	राशि	प्रतिशतता
	राजकोषीय सेवायें		
	(i) सम्पत्ति एवं पूंजीगत लेन-देनों पर करों का संग्रहण	196	0.61
	(ii) वस्तुओं तथा सेवाओं पर करों का संग्रहण	69	0.21
	(iii) अन्य राजकोषीय सेवायें	2	...
ख.	राज्य के अंग	544	1.71
ग.	ब्याज अदायगियाँ एवं ऋण शोधन कार्य	2,929	9.21
घ.	प्रशासनिक सेवायें	3,418	10.75
च.	पेंशन एवं विविध सामान्य सेवायें	3,465	10.91
छ.	सामाजिक सेवायें	11,915	37.48
ज.	आर्थिक सेवायें	9,256	29.12
झ.	सहायक अनुदान एवं अंशदान	...	...
	कुल व्यय (राजस्व लेखा)	31,795	100.00

### 3.2.2 राजस्व व्यय (2010-15) के मुख्य घटक



\* मुख्य शीर्ष 2048 (ऋण घटाने या उसका परिहार करने के लिए विनियोजन) मुख्य शीर्ष 2049 (ब्याज अदायगियों) को छोड़कर तथा मुख्य शीर्ष 3604 (स्थानीय निकायों तथा पंचायती राज संस्थाओं को क्षतिपूर्ति तथा समनुदेशन) को शामिल कर सामान्य सेवाएं

### 3.3 पूंजीगत व्यय

वर्ष 2014-15 में (योजना व्यय के अधीन ₹ 2,444 करोड़ एवं गैर-योजना व्यय के अधीन ₹ 51 करोड़ का कम व्यय) पूंजी व्यय, स.रा.घ.उ. का 3 प्रतिशत रहा, जो कि ₹ 2,495 करोड़ के बजट प्राक्कलन से कम था।

#### 3.3.1 पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण

वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार के द्वारा चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर ₹ 261 करोड़, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर ₹ 1,305 करोड़ तथा सड़क एवं सेतु पर ₹ 9,702 करोड़ खर्च किया गया।


(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	खण्ड	राशि	प्रतिशतता
1.	सामान्य सेवाएं - पुलिस, भू-राजस्व इत्यादि।	326	5
2.	सामाजिक सेवाएं - शिक्षा, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, परिवार कल्याण, जलापूर्ति, अनुसूचित जाति/जनजाति का कल्याण इत्यादि।	910	14
3.	आर्थिक सेवाएं - कृषि, ग्रामीण विकास, सिंचाई, सहकारिता, ऊर्जा, उद्योग, परिवहन इत्यादि।	4,307	68
4.	कर्ज एवं अग्रिम संवितरित	824	13
5.	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	...	...
	<b>कुल</b>	<b>6,367</b>	<b>100</b>

### 3.3.2 विगत पाँच वर्षों के दौरान पूंजीगत व्यय का खण्डवार वितरण


(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	खण्ड	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
1.	सामान्य सेवाएं	120	156	176	168	326
2.	सामाजिक सेवाएं	682	866	1,030	924	910
3.	आर्थिक सेवाएं	1,862	2,137	3,012	3,631	4,307
4.	कर्ज एवं अग्रिम	307	217	601	222	824
5.	अन्तर्राज्यीय परिशोधन	0	75	100	50	...
	<b>कुल</b>	<b>2,971</b>	<b>3,451</b>	<b>4,919</b>	<b>4,995</b>	<b>6,367</b>




## योजना एवं गैर-योजना व्यय

### 4.1 व्यय का वितरण (2014-15)



### 4.2 योजना व्यय

वर्ष 2014-15 के दौरान, योजना व्यय ₹ 14,221 करोड़ राज्य योजना के अधीन, ₹ 3,516 करोड़ केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अधीन, ₹ 219 करोड़ केन्द्रीय योजनागत योजना के अधीन तथा ₹ 789 करोड़ कर्ज एवं अग्रिम के अधीन) ₹ 18,745 करोड़ था, जो कि कुल संवितरण का 49 प्रतिशत को इंगित करता है।




#### 4.2.1 पूंजी लेखा के अन्तर्गत योजना व्यय

(करोड़ रुपयों में)


	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
कुल पूंजी व्यय	2,971	3,451	4,919	4,945	6,367
कुल व्यय (योजना)	2,792	3,297	4,694	4,899	6,309
कुल पूंजी व्यय का पूंजी व्यय (योजना) की प्रतिशतता	94	96	95	99	99

### 4.3 गैर-योजना व्यय

वर्ष 2014-15 के दौरान गैर-योजना व्यय (₹ 19,359 करोड़ राजस्व के अधीन एवं ₹ 58 करोड़ पूंजी के अधीन) ₹ 19,417 करोड़ था, जो कुल संवितरण का 51 प्रतिशत को इंगित करता है।



### 4.4 वचनबद्ध व्यय





(करोड़ रूपयों में)

संघटक	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
वचनबद्ध व्यय	9,951	10,916	11,912	13,033	13,809
राजस्व व्यय	17,945	20,991	23,400	23,471	31,795
राजस्व प्राप्तियाँ	18,781	22,419	24,770	26,137	31,565
राजस्व प्राप्तियाँ का वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	53	49	48	50	44
राजस्व व्यय का वचनबद्ध व्यय की प्रतिशतता	55	52	51	56	43

वचनबद्ध व्यय में अत्यधिक वृद्धि सरकार को विकासात्मक खर्च में कम लचीलापन लाने के लिए बाध्य करता है।

## विनियोग लेखे

### 5.1 वर्ष 2014-15 के लिए विनियोग लेखे का सारांश

(करोड़ रुपयों में)

क्रम सं.	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान	अनुपूरक अनुदान	पुनर्विनियोग	कुल	वास्तविक व्यय	बचत (-) अधिक व्यय (+)
1.	राजस्व दत्तमत प्रभारित	36,697	5,394	...	42,091	28,837	(-)13,254
		2,791	49	...	2,840	2,990	(+)150
2.	पूंजी दत्तमत प्रभारित	8,224	908	...	9,132	5,867	(-)3,265
		...	...	...	...	...	...
3.	लोक ऋण प्रभारित	1,976	19	...	1,995	1,880	(-)115
4.	कर्ज एवं अग्रिम दत्तमत	699	546	...	1,245	824	(-)421
	<b>कुल</b>	<b>50,387</b>	<b>6,916</b>	<b>...</b>	<b>57,303</b>	<b>40,398</b>	<b>(-)16,905</b>

### 5.2 विगत पाँच वर्षों के दौरान बचत/आधिक्य या अधिक व्यय की प्रवृत्ति

(करोड़ रुपयों में)

वर्ष	बचत (-) अधिक व्यय (+)				
	राजस्व	पूंजी	लोक ऋण	कर्ज एवं अग्रिम	कुल
2010-11	(-)2,018	(-)1,741	(-)245	(-)107	(-)4,111
2011-12	(-)5,178	(-)4,838	(+)220	(-)242	(-)10,038
2012-13	(-)5,488	(-)2,761	(+)556	(-)269	(-)7,962
2013-14	(-)9,060	(-)2,990	(+)182	(-)568	(-)12,436
2014-15	(-)13,104	(-)3,265	(-)115	(-)421	(-)16,905

### 5.3 महत्वपूर्ण बचतें

किसी अनुदान के अधीन पर्याप्त बचत यह दर्शाता है कि किसी खास योजनाओं/कार्यक्रमों का या तो कार्यान्वयन नहीं किया गया या मन्द गति से कार्यान्वयन किया गया।

कुछ अनुदानों के निरंतर एवं महत्वपूर्ण बचतें नीचे दिए गए हैं :-

अनुदान	नामकरण	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15
		(प्रतिशत में)				
1	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	39	34	37	58	56
10	ऊर्जा विभाग	37	56	14	43	11
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	25	32	38	22	41
29	खनन एवं भूतत्व विभाग	23	32	25	33	38
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	41	51	43	56	40

जहाँ वर्ष 2014-15 के दौरान कुछ मामलों में कुल ₹ 6,916 करोड़ (कुल व्यय का 58 प्रतिशत) का अनुपूरक अनुदान/विनियोग अनावश्यक साबित हुआ, वहीं वर्ष के अन्त में मूल आवंटन के विरुद्ध भी पर्याप्त बचत पाया गया। कुछ मामले नीचे दिए गए हैं:-

(करोड़ रुपयों में)

अनुदान	नामकरण	प्रभाग	मूल	अनुपूरक	वास्तविक व्यय
1	कृषि एवं गन्ना विकास विभाग	राजस्व	875.03	83.15	406.17
2	पशुपालन विभाग	राजस्व	161.32	2.34	121.93
20	स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग	राजस्व	2,225.85	89.52	1,347.53
23	उद्योग विभाग	राजस्व	302.53	65.90	219.86
26	श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग	राजस्व	1,095.18	138.43	883.66
36	पेयजल एवं स्वच्छता विभाग	राजस्व	771.41	209.98	619.87
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	386.60	0.44	287.23
41	पथ निर्माण विभाग	पूंजी	2,489.59	124.00	2,435.99
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी	राजस्व	77.13	63.91	119.74
48	शहरी विकास विभाग	राजस्व	1,837.69	353.67	1,103.04
51	कल्याण विभाग	राजस्व	935.50	96.48	862.97
52	कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग	राजस्व	74.98	26.47	52.93
56	पंचायती राज एवं एन.आर.इ.पी. (विशेष प्रमंडल) विभाग	राजस्व	1,745.89	498.28	1,458.07
58	माध्यमिक शिक्षा	राजस्व	1,171.77	70.52	718.70
60	समाज कल्याण, महिला एवं बाल विकास विभाग	राजस्व	1,319.39	0.65	864.57

## परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व

### 6.1 परिसम्पत्तियाँ

वर्तमान लेखा पद्धति में अधिग्रहण/क्रय के वर्ष के अतिरिक्त सरकारी परिसम्पत्तियों जैसे - भूमि, भवन इत्यादि के मूल्यांकन का चित्रण सहजतापूर्वक नहीं होता है। इसी प्रकार लेखे जहाँ चालू वर्ष में प्रकट होने वाले दायित्वों के प्रभाव को दर्शाता है वहीं ब्याज की दर तथा ऋणों की वर्तमान अवधि द्वारा सीमित सीमा तक दर्शाये जाने के अतिरिक्त आने वाली पीढ़ियों के लिए दायित्वों के सम्पूर्ण प्रभाव का चित्रण नहीं होता है।

वर्ष 2014-15 के दौरान सरकार ने ₹ 15 करोड़ का निवेश किया एवं वर्ष के दौरान कोई ब्याज नहीं प्राप्त हुआ।

31 मार्च 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ रोकड़ शेष ₹ 428.21 करोड़ था, जो मार्च 2015 के अन्त में घटकर ₹ (-)224.13 करोड़ हो गया।

### 6.2 ऋण एवं दायित्व

वर्ष 2014-15 के अन्त में बकाया लोक ऋण ₹ 34,842 करोड़ था, जिसमें ₹ 32,755 करोड़ आंतरिक ऋण तथा ₹ 2,087 करोड़ केन्द्रीय सरकार से कर्जे एवं अग्रिमो का शामिल था। इसके अतिरिक्त लोक लेखा के अन्तर्गत अन्य दायित्वों के अन्तर्गत लेखांकित ₹ 8,727 करोड़ था।

लघु बचत संग्रहण, भविष्य निधि तथा जमा जैसे - निक्षेपों के संबंध में राज्य भी एक बैंकर और न्यासी के जैसा कार्य करता है। वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 5,975 करोड़ का एक समग्र वृद्धि राज्य सरकार के ऐसे दायित्वों के संबंध में था।

ऋण पर ब्याज अदायगियां और अन्य दायित्वों में कुल ₹ 2,929 करोड़ था, जो ₹ 31,795 करोड़ के राजस्व व्यय का 9 प्रतिशत है। आन्तरिक ऋणों पर ब्याज अदायगियां ₹ 2,531 करोड़ था (अन्य आन्तरिक ऋण पर ₹ 361 करोड़ राज्य सरकार द्वारा उगाही गई बाजार कर्जे पर ₹ 1,230 करोड़, विशेष प्रतिभूतियां जैसे राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय आय बचत निधि को निर्गत ₹ 936 करोड़ तथा अन्य दायित्वों पर ₹ 3 करोड़)। वर्ष 2014-15 के दौरान ब्याज अदायगियों के कारण व्यय में ₹ 315 करोड़ की वृद्धि हुई, वर्ष 2014-15 के दौरान ₹ 6,537 करोड़ के आन्तरिक ऋण की उगाही की गई थी, जिसका उपयोग मुख्यतः ₹ 1,722 करोड़ के ऋण दायित्वों तथा ₹ 2,531 करोड़ ब्याज अदायगी के निर्वहन में किया गया।

### 6.3 निवेश एवं वापसियां

वर्ष 2014-15 के अन्त में सांविधिक निगमों, ग्रामीण बैंकों, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों इत्यादि में पूंजीगत हिस्सा के रूप में कुल निवेश ₹ 241 करोड़ था। वर्ष के दौरान निवेश पर कोई लाभांश नहीं प्राप्त हुआ। जबकि सांविधिक निगमों, ग्रामीणों बैंको, सरकारी कम्पनियों, संयुक्त स्टॉक कम्पनियों इत्यादि में निवेश में ₹ 15 करोड़ की अभिवृद्धि हुई।

### 6.4 प्रत्याभूति

14.11.2000 तक संयुक्त बिहार राज्य द्वारा दिये गये प्रत्याभूतियों का आवंटन उत्तरवर्ती राज्यों, बिहार और झारखण्ड के बीच अभी तक नहीं हुआ है (अक्टूबर 2015)। वर्ष 2014-15 के प्रारंभ में बकाया राशि ₹ 157 करोड़ थी। अतः वर्ष 2014-15 के अंत में बकाया राशि ₹ 157 करोड़ है। ₹ 157 करोड़ की बकाया गारंटियों के संबंध में राज्य सरकार द्वारा विस्तृत सूचनाओं का प्रेषण नहीं किया गया है।

वर्ष 2014-15 के दौरान राज्य सरकार द्वारा गारंटी नहीं किया गया। जबकि, वर्ष 2014-15 के अन्त में ₹ 157 करोड़ की राशि बकाया था। सरकार द्वारा गारंटी विमोचन निधि का सृजन नहीं किया गया। दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत, राज्य सरकार द्वारा वर्ष के आरम्भ में बकाया गारंटी का 0.5 प्रतिशत न्यूनतम वार्षिक अंशदान किया जाना अपेक्षित है। फलतः कोई अंशदान (प्राक्कलित ₹ 0.79 करोड़ जो कि 1 अप्रैल 2014 को ₹ 157 करोड़ के बकाया गारंटियों का 0.5 प्रतिशत है) नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व अधिशेष को ₹ 0.79 करोड़ की न्यूनतम सीमा तक अधिक दर्शाया गया है।

## अन्य मदें

### 7.1 आंतरिक ऋण के अधीन शेष

राज्य सरकारों का उधार भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 के द्वारा शासित होता है। लिए गए प्रत्यक्ष कर्जों के अतिरिक्त विभिन्न योजनागत योजनाओं तथा कार्यक्रमों, जो राज्य बजट से बहिर्विष्ट होते हैं, का क्रियान्वयन हेतु बाजार एवं वित्तीय संस्थानों से सरकारी कम्पनियों तथा निगमों द्वारा उठाये गए कर्जों को भी राज्य सरकारें गारंटी देती हैं। इन कर्जों को संबंधित प्रशासकीय विभागों की प्राप्तियों के जैसा प्रतिपादित किया जाता है जो सरकार की पुस्तकों में प्रकट नहीं होता है। मार्च 2015 के आंतरिक ऋण के अधीन शेष ₹ 32,755 करोड़ था।

### 7.2 राज्य सरकार द्वारा कर्ज एवं अग्रिम

वर्ष 2014-15 के अन्त में राज्य सरकार द्वारा लिया गया कुल कर्ज एवं पेशगियाँ ₹ 8,737 करोड़ था। इसमें से सरकारी निगमों/कम्पनियों, गैर-सरकारी संस्थानों तथा स्थानीय निकायों को कर्ज एवं पेशगियाँ ₹ 8,166 करोड़ था। 31 मार्च 2015 के अन्त में मूलधन एवं ब्याज की वापसी ₹ 414 करोड़ तथा ₹ 875 करोड़ का बकाया है।

### 7.3 स्थानीय निकायों एवं अन्यान्य को वित्तीय सहायता

विगत तीन वर्षों के दौरान स्थानीय निकायों इत्यादि को सहायता अनुदान के रूप में वर्ष 2013-14 में ₹ 6,423 करोड़ दिया गया, जो वर्ष 2014-15 में बढ़कर ₹ 12,404 करोड़ हो गया।

वर्ष के दौरान जिला परिषदों, पंचायत समितियों तथा नगरपालिकाओं को ₹ 4998 करोड़ का अनुदान दिया गया, जो कुल अनुदान का 40 प्रतिशत था।

विगत तीन वर्षों में दिए गए सहायक अनुदान का ब्यौरा निम्नवत् है।

(करोड़ रूपयों में)

वर्ष	जिला परिषदों	नगर पालिकाओं	पंचायत समितियों	अन्य	कुल
2012-13	2,430	331	649	3,540	6,950
2013-14	421	88	484	5,429	6,422
2014-15	532	1,620	2,846	7,406	12,404

### 7.4 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेष का निवेश

(करोड़ रूपयों में)

संघटक	1 अप्रैल 2014 को	31 मार्च 2015 को	निवल वृद्धि (+)/ हास (-)
रोकड़ शेष	428	(-) 224	(-) 652
रोकड़ शेष से निवेश (भारत सरकार, कोषागार विपत्र)	852	666	186
उगाहा गया ब्याज	67	127	60

## 7.5 लेखे का पुनर्मिलान

लेखे की शुद्धता एवं विश्वसनीयता अन्य बातों के अलावा, महालेखाकार (ले. एवं हक.) द्वारा संकलित लेखे के आँकड़े के साथ विभागीय आँकड़े का समय पर समाधान पर निर्भर करता है। इस अभ्यास का पालन संबंधित विभागाध्यक्षों द्वारा संचालित होना चाहिए। बहुत से विभागों के लेखे का पुनर्मिलान अभी भी बाकी है। वर्ष 2014-15 में कुल व्यय (₹ 40,041.49 करोड़) में से मात्र 33.65 प्रतिशत (₹ 13,472.99 करोड़) का पुनर्मिलान राज्य सरकार द्वारा किया गया। इसी प्रकार कुल प्राप्तियाँ ₹ 38,287.73 करोड़ में से मात्र 63.10 प्रतिशत (₹ 24,158.15 करोड़) का पुनर्मिलान किया गया। विभिन्न विभागों के मुख्य नियंत्री अधिकारियों (सी.सी.ओ.) द्वारा लेखे की पुनर्मिलान की स्थिति नीचे दर्शाया गया है।

विवरण	कुल मुख्य नियंत्री अधिकारियों की संख्या	पूर्णतः पुनर्मिलान	आंशिक पुनर्मिलान	पुनर्मिलान नहीं किया गया
व्यय	180	37	69	74
प्राप्तियाँ	100	13	16	71
<b>कुल</b>	<b>280</b>	<b>50</b>	<b>85</b>	<b>145</b>

पुनर्मिलान के संदर्भ में कुछ पुराने चुककर्ता विभागों के नाम नीचे सूचीबद्ध किए गए हैं :-

क्रम सं.	विभाग का नाम/मुख्य नियंत्री पदाधिकारी	लंबित वर्ष/वर्षों के नाम
1.	सचिव, कृषि	2012-13, 2013-14, 2014-15
2.	वित्त आयुक्त	2012-13, 2013-14, 2014-15
3.	सचिव, पी.एच.ई.डी.	2012-13, 2013-14, 2014-15
4.	निदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं	2012-13, 2013-14, 2014-15
5.	सचिव, शहरी विकास	2012-13, 2013-14, 2014-15
6.	अपर सचिव, गृह प्रभाग IV ग्राम पुलिस आयुक्त, उत्तरी छोटानागपुर, हजारीबाग	2012-13, 2013-14, 2014-15
7.	महानिरीक्षक (जेल), गृह विभाग	2012-13, 2013-14, 2014-15
8.	उप-सचिव, उच्च शिक्षा विभाग उप-सचिव, प्राथमिक एवं वयस्क शिक्षा	2012-13, 2013-14, 2014-15
9.	सचिव, उर्जा विभाग	2012-13, 2013-14, 2014-15
10.	श्रमायुक्त	2012-13, 2013-14, 2014-15
11.	सचिव, कल्याण विभाग	2012-13, 2013-14, 2014-15
12.	अवर सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2012-13, 2013-14, 2014-15
13.	निदेशक, रोजगार एवं प्रशिक्षण विभाग	2012-13, 2013-14, 2014-15
14.	उप सचिव, ग्रामीण विकास	2012-13, 2013-14, 2014-15
15.	उप सचिव, कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	2012-13, 2013-14, 2014-15
16.	सचिव, विधि विभाग	2012-13, 2013-14, 2014-15
17.	वाणिज्य कर आयुक्त	2012-13, 2013-14, 2014-15
18.	निदेशक, पंचायती राज	2012-13, 2013-14, 2014-15
19.	सचिव, खाद्य एवं पोषण विभाग	2012-13, 2013-14, 2014-15
20.	निदेशक, सामाजिक सुरक्षा	2012-13, 2013-14, 2014-15

## 7.6 कोषागारों द्वारा लेखे का प्रेषण

कोषागारों द्वारा प्रारंभिक लेखे का प्रेषण संतोषजनक है। यद्यपि लोक निर्माण कार्यों एवं वन विभागों द्वारा लेखे की प्रस्तुति में सुधार होना चाहिए।

## 7.7 संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र (ए.सी.) एवं विस्तृत आकस्मिक विपत्र (डी.सी.)

आहरण एवं संवितरण अधिकारी सेवा शीर्षों को नामे द्वारा संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र के माध्यम से राशि आहरित करने के लिए अधिकृत है तथा उनसे यह अपेक्षा की जाती है कि एक विशिष्ट अवधि के दरम्यान सभी मामलों में उप-वाउचरों द्वारा समर्थित विस्तृत आकस्मिक विपत्र प्रस्तुत करें। वर्तमान में वर्ष 2000-01 से 2014-15 तक ₹ 4,886 करोड़ की राशि का 13,988 विस्तृत आकस्मिक विपत्र (31.03.2015 तक की स्थिति) इस कार्यालय में अप्राप्य है। संक्षिप्त आकस्मिक विपत्र द्वारा राशि का आहरण संवितरण को प्रतिबिम्बित करता है किन्तु किए गए वास्तविक व्यय को नहीं दर्शाता है।

## 7.8 अपूर्ण पूंजीगत कार्यों के लेखे की वचनबद्धता

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न अपूर्ण परियोजनाओं पर कुल ₹ 1,362 करोड़ का व्यय किया गया।

## 7.9 व्यय की तीव्रता

वित्तीय नियमावली का शर्त है कि व्यय की तीव्रता विशेषकर वित्तीय वर्ष के अंतिम माह में यदि हो, तो वह वित्तीय नियमितता के उल्लंघन को प्रदर्शित करता है, जिसे टाला जाना चाहिए। यद्यपि, मार्च 2015 के दौरान चयनित निश्चित लेखा शीर्षों के अन्तर्गत किए गए व्यय, जो कि वर्ष के दौरान कुल व्यय का 50 प्रतिशत से 100 प्रतिशत के बीच था, वित्तीय वर्ष के अन्त में बजट के उपयोग की प्रवृत्ति को सूचित करता है।

वर्ष 2014-15 के चार तिमाही के दौरान नीचे उल्लेखित शीर्षों में व्यय का प्रवाह निम्नवत था :-

(करोड़ रुपयों में)

लेखा शीर्ष	वर्णन	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल	मार्च के दौरान	वर्ष 2014-15 के कुल व्यय के संदर्भ में 3/2015 की प्रतिशतता
2205	कला एवं संस्कृति	0.53	0.62	0.77	28.02	29.94	27.13	91
2217	शहरी विकास	0.27	66.07	139.92	690.32	896.58	618.73	69
2225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	6.54	81.73	174.48	597.02	859.77	367.25	43
2401	फसल कृषि-कर्म	10.35	18.91	18.64	258.53	306.43	173.60	57
2501	ग्राम विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	0.03	37.43	11.09	55.38	103.93	51.85	50
2515	अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम	92.44	361.03	664.33	829.08	1946.88	506.96	26

लेखा शीर्ष	वर्णन	प्रथम तिमाही	द्वितीय तिमाही	तृतीय तिमाही	चतुर्थ तिमाही	कुल	मार्च के दौरान	वर्ष 2014-15 के कुल व्यय के संदर्भ में 3/2015 की प्रतिशतता
2810	नवीन और नवीकरणीय उर्जा	0	0	0	50.00	50.00	50.00	100
2852	उद्योग	1.45	8.15	4.95	57.91	72.46	57.09	79
4055	पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	0	18.93	6.61	128.26	153.80	121.48	79
4202	शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	1.34	24.71	15.68	41.24	82.97	32.11	39
4216	आवास पर पूँजीगत परिव्यय	7.56	13.58	4.98	23.23	49.35	15.22	31
4225	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0	5.69	10.90	1,56.13	172.72	49.75	29
4401	फसल कृषि कर्म पर पूँजीगत परिव्यय	0	4.26	4.06	4.58	12.90	3.79	29
4405	मछली पालन पर पूँजीगत परिव्यय	0	0.77	0.17	8.83	9.77	8.59	88
5055	सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय	0	0	0.04	20.19	2.23	1.21	54





© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक  
2015  
[www.cag.gov.in](http://www.cag.gov.in)

[www.agjh.cag.gov.in](http://www.agjh.cag.gov.in)